मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 11-5/211/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25-5-2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश।

विषय :– कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने के संबंध में आंशिक संशोधन बाबत।

संदर्भ :– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ–11–13/1661/2016 /नियम/चार दिनांक 21–9–2016

***

1. वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य कें कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये भी दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील की गई है।

2. यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि कार्यभारित सेवाओं के ऐसे शासकीय सेवक जिनका 1–1–2016 अथवा इसके पूर्व नियमित सेवाओं में नियमितीकरण हो गया है, को समयमान दिये जाने के लिये सेवावधि की गणना में क्या उनकी पूर्व कार्यभारित सेवाओं को गणना में लिया जाये ?

3. उपर्युक्त परिस्थिति का विश्लेषण करने पर यह समक्ष में आया कि उपर्युक्त अनुसार कार्यभारित सेवा मे नियमित सेवा में नियमित किये गये शासकीय सेवकों की कार्यभारित सेवाओं को गणना में नही लिये जाने पर कार्यभारित सेवा में उनके कनिष्ठ शासकीय सेवकों को उच्च समयमान वेतनमान उनके पूर्व ही प्राप्त हो जाता है।

4. अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित सेवाओं के ऐसे शासकीय सेवक जिनका नियमित सेवा में नियमितीकरण हो गया है अथवा भविष्य में होना है, को नियमित शासकीय सेवक के अनुसार दिये जाने वाले समयमान वेतनमान के लिये सेवा की गणना में उनकी कार्यभारित सेवाओं को भी जोडा जाए बशर्ते कार्यभारित सेवा के पद एवं नियमित सेवा के पद के वेतनमान समान रहे हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-142

पृष्ठा.कमांक 11-5 /211/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25-5-2017

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-143